न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005 ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– रीडर/2025/831 **दिनांक :– 07.11.2025**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः– प्रकरण संख्या 93/2025 अनवान अमृतपाल सिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सीपीसी सहपठित धारा 151, 152, 153 सीपीसी में पारित **निर्णय दिनांक 07.11.2025 के संबध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2025 के अनुसार प्रार्थीगण का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सीपीसी सहपठित धारा 151, 152, 153 सीपीसी भली–भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 76/2024, अनवान अमृतपाल सिंह आदि बनाम आमीन शर्मा आदि अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का निर्णय दिनांक 24.07.2025 व अन्तिम डिक्री दिनांक 30.07.2025 को निरस्त किया जाकर, नामातंरण संख्या 809 दिनांक 14.10.2025 से पूर्व की स्थिति बहाल किए जाने के आदेश दिए जाते है। रहन बदस्तूर रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी... बनाम राजस्थान सरकार

अमृतपाल सिंह आदि

पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सीपीसी सहपठित धारा 151, 152, 153

प्रकरण संख्या 93 सन् 2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/492

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07.11.2025	प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सीपीसी सहपठित धारा 151, 152, 153 सीपीसी पर बहस की गई। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा पुनर्विलोकन याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि प्रकरण संख्या 76/2024, अनवान अमृतपाल सिंह आदि बनाम आमीन शर्मा आदि अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का निर्णय दिनांक 24.07.2025 को माननीय न्यायालय के द्वारा किया गया है। उक्त अनवान प्रकरण में जारी डिक्री दिनांक 30.07.2025 की पालना में नामातंरण संख्या 809 दिनांक 14.10.2025 को दर्ज हो चुका है। परन्तु प्रार्थीगण को उक्त खाता विभाजन में जो रकबा प्राप्त हुआ है। उसमें सिंचाई खाला, रास्ता व अन्य सुविधाओं को अंकन नहीं होने के कारण अन्य काश्तकारों के साथ व्यवहार व प्रेम संबध कठोर हो गये है तथा असुविधा कारित हो रही है। इसलिए प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 24.07.2025 की पालना में राजस्व अभिलेख में दर्ज नामातंरण संख्या 809 दिनांक 14.10.2025 को निरस्त करवाकर, पूर्व की भांति राजस्व अभिलेख का अंकन करवाना चाहते है। लिहाजा प्रकरण संख्या 76/2024, अनवान अमृतपाल सिंह आदि बनाम आमीन शर्मा आदि अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का निर्णय दिनांक 24.07.2025 को हो चुका है तथा तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा अन्तिम डिक्री दिनांक 30.07.2025 की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण संख्या 809 दिनांक 14.10.2025 को दर्ज किया जा चुका है। जबकि उक्त अनवान प्रकरण में प्राप्त रकबा के संबध में प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारों को असुवधा कारित हो रही है। इसलिए उक्त अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक24.07.2025 व डिक्री दिनांक 30.07.2025 का पुनर्विलोकन किया जाना हम विधिसंगत समझते है। अतः प्रार्थीगण का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सीपीसी सहपठित धारा 151, 152, 153 सीपीसी भली–भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 76/2024, अनवान अमृतपाल सिंह आदि बनाम आमीन शर्मा आदि अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का निर्णय दिनांक 24.07.2025 व अन्तिम डिक्री दिनांक 30.07.2025 को निरस्त किया जाकर, नामातंरण संख्या 809 दिनांक 14.10.2025 से पूर्व की स्थिति बहाल किए जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)